



Neutral Citation No.- 2026:AHC:59680

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 528 बीएनएसएस के तहत आवेदन संख्या - 5308 वर्ष 2026

शीलाम और एक अन्य

आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता	:	प्रकाश वीर त्रिपाठी
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 75

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव

- आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वीर त्रिपाठी और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
- वर्तमान आवेदन में संत कबीर नगर जिले के खलीलाबाद थाने के अंतर्गत आईपीसी की धारा 109 और 342 के तहत दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 901 वर्ष 2012 से संबंधित मुकदमा संख्या 2208 वर्ष 2013 की पूरी कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना की गई है, जो संत कबीर नगर के विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में लंबित है। यह कार्यवाही संबंधित पक्षों के बीच 7.11.2024 को हुए समझौते के आधार पर रद्द करने की मांग की गई है, जिसका सत्यापन विचारण न्यायालय ने किया है।
- आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इससे पहले, आवेदकों ने धारा 482 के तहत आवेदन संख्या 29351 वर्ष 2013 (शीलम और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) दाखिल करके इस न्यायालय से संपर्क किया था, जिसमें इस न्यायालय की समक्ष पीठ द्वारा दिनांक 16.9.2025 को पारित आदेश के माध्यम से आवेदकों को संबंधित विद्वान न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने और उनके बीच हुए समझौते को उक्त न्यायालय द्वारा सत्यापित कराने का निर्देश दिया गया था। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 16.9.2025 को पारित आदेश के अनुपालन

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



में, संबंधित पक्ष संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए और एक नया समझौता पत्र दाखिल किया तथा आवेदकों और प्रत्यर्थी संख्या 2 के बीच हुए उक्त समझौते को संबंधित विद्वान न्यायालय द्वारा सत्यापित कर लिया गया है और संत कबीर नगर के विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से दिनांक 14.11.2025 की सत्यापन रिपोर्ट पहले ही प्राप्त हो चुकी है और इसे इस आवेदन के अनुलग्नक संख्या 4 के रूप में संलग्न किया गया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि दोनों पक्षों द्वारा किए गए समझौते का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जा चुका है।

4. राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्क पर कोई आपत्ति नहीं जताई।

5. अभिलेखों के अवलोकन से यह पता चलता है कि पक्षों ने सौहार्दपूर्ण ढंग से अपने विवाद को सुलझा लिया है और यह प्रस्तुत किया गया है कि इससे कोई हानि या त्रुटि नहीं होगी तथा सत्यापन रिपोर्ट के आलोक में कार्यवाही को रद्द करना न्याय के हित में होगा।

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने **ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2012) 10 एससीसी 303** के मामले में अपने निर्णय के पैरा 58 में कहा है कि जहां उच्च न्यायालय किसी आपराधिक कार्यवाही को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए रद्द करता है कि अपराधी और पीड़ित के बीच विवाद सुलझ गया है, भले ही अपराध समझौता योग्य न हों, तो वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसकी राय में आपराधिक कार्यवाही जारी रखना व्यर्थ होगा और मामले में न्याय की मांग है कि पक्षों के बीच विवाद समाप्त किया जाए और शांति बहाल की जाए; न्याय के उद्देश्यों की रक्षा करना ही अंतिम मार्गदर्शक कारक है।

7. **माधवराव जीवाजीराव सिंधिया बनाम संभाजीराव चंद्रओजीराव आंग्रे [(1988) 1 एससीसी 692]** के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की है कि जहां मामले दीवानी प्रकृति के भी हों, जैसे वैवाहिक, पारिवारिक विवाद आदि, वहां न्यायालय "विशेष तथ्यों", "विशेष विशेषताओं" पर विचार कर सकता है और पक्षों के बीच विवादों के वास्तविक निपटारे को प्रोत्साहित करने के लिए आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है।

8. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मुकदमा संख्या 2208 वर्ष 2013 की संपूर्ण कार्यवाही, जो मुकदमा अपराध संख्या 901 वर्ष 2012, अंतर्गत धारा 109, 342 आईपीसी, थाना खलीलाबाद, जिला संत कबीर नगर से संबंधित है, को केवल इस मामले के आवेदकों के संबंध में **रद्द** किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. अतः, वर्तमान आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

10. पक्षकार आज से तीन सप्ताह के भीतर इस आदेश की प्रति संबंधित न्यायालय में दाखिल कर सकते हैं।

11. यदि प्रत्यर्थी संख्या 2 को यह महसूस होता है कि उसके साथ धोखाधड़ी या विश्वासघात हुआ है, तो वह उक्त आवेदन दाखिल करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए वापसी आवेदन दाखिल कर सकता/सकती है।

23 मार्च, 2026

शाश्वत

(न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव)